राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	जगदीश बनाम विवेक हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 552/2023, 553/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

26.9.25

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस दोनों अपील पत्रावलीयो पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 29/09/2025 को पेश हो |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

29.9.25

आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया | अधिवक्ता अपीलार्थी ने दोनों अपीलों पर ईकजाई रूप से अपनी बहस करते हुये निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17/02/2023 पारित की गयी, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को होते ही प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद के साथ अपील मय प्रार्थना पत्र स्थगन जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19/05/2019 को जारी नोटिस की कोई ट्रेक रिपोर्ट एवं रसीदे पेश नही की गयी | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07/12/2020 पारित करते हुये तहसीलदार बस्सी को विवादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर हिस्सेदारों के हिस्से अनुसार रास्ते का ध्यान में रखते हुये विभाजन किये जाने के आदेश पारित किये गये, परन्तु तहसीलदार बस्सी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने से पूर्व अपीलार्थीगण कोई सूचना/नोटिस नही दिया एवं तहसीलदार बस्सी द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में बिना सूचना दिये एकतरफा में रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 के साथ मिलकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट का निस्तारण किये बगैर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17/02/2023 पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है | तहसीलदार तहसील बस्सी ने कुर्रेजात रिपोर्ट में अपीलार्थीगण कि कब्जे काश्त की भूमि को वादपत्र में पक्षकार संयोजित नही होने के बावजूद भी मनीषा खण्डेलवाल पत्नी सुभाष खण्डेलवाल को बिना कब्जे काश्त के प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में खसरा नम्बर 45/2 रकबा 1.5013 हैक्टेयर भूमि दे दी गयी तथा खसरा नम्बर 45/3 रकबा 0.0252 हैक्टेयर भूमि मनीषा खण्डेलवाल, ममता गुप्ता व प्रतिवादी संख्या 19 रामकरण पुत्र लादूराम को दे दी गयी | विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 45/03 जो कि मौके पर रास्ता है, जिसको कुर्रेजात प्रस्ताव में रास्ता अंकित कर रास्ते को

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	जगदीश बनाम विवेक 552/2023, 553/2023 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

शामलाती में सभी सहकाश्तकारान के मध्य संयुक्त रखा जाना कानूनन आवश्यक था, लेकिन नायब तहसीलदार बस्सी द्वारा प्रेषित कुर्रेजात प्रस्ताव में उक्त रास्ते का कही भी उल्लेख नही किया गया है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17/02/2023 की अपीलार्थीगण को जानकारी रेस्पो. द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा लेने आने, तब हुई, जिस पर अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सम्पूर्ण वाद पत्र मय निर्णय की नकल प्राप्त कर इस न्यायालय के समक्ष धारा-5 कानून मियाद के साथ इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी | अत: प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद स्वीकार फरमाते हुये दोनों अपीले जानकारी से अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीले स्वीकार फरमाई जावे |

अधिवक्ता रेस्पो. ने दोनों अपीलों परं अपनी ईकजाई बहस करते हुये निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान की प्रोपर तामील करवाये जाने के पश्चात प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07/12/2020 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17/02/2023 सही रूप से पारित की गयी है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी एवं रेस्पो. की शामलाती खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करने का निर्णय पारित किया गया था | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07/12/2020 पारित करते हुये तहसीलदार बस्सी को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिस पर तहसीलदार बस्सी द्वारा स्वयं मौके पर जाकर एवं पक्षकारान को सूचना/नोटिस दिये जाने के पश्चात मौके पर उपस्थित पक्षकारान के समक्ष कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी, जिस पर प्रस्तुत आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त निस्तारण करते हुये अंतिम निर्णय व डिक्री डिंक 17/02/2023 सही रूप से पारित की गयी है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी एकपक्षीय कार्यवाही के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी पेश नही किया है | अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र की जानकारी शुरुआत से ही होने के पश्चात भी अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 17/02/2023 के विरुद्ध अपील देरी से प्रस्तुत की गयी है | अत: अपील मियाद बाहर धारित करते हुये दोनों अपीले ख़ारिज फरमाई जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	जगदीश बनाम विवेक 552/2023, 553/2023 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली का अवलोकन किया जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07/12/2020 में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होने से उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। जहाँ तक कुर्रेजात रिपोर्ट एवं उसके आधार पर पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17/02/2023 का प्रश्न है तो इस सन्दर्भ में कुर्रेजात रिपोर्ट एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी सहखातेदार की आराजी का विभाजन नही कर मात्र पांच सहखातेदार की आराजी का विभाजन कर करीबन 19 सहखातेदारों की आराजी को ईकजाई ही रख दिया गया जो विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनीषा खण्डेलवाल को पक्षकार समायोजित किये बगैर ही उनको अंतिम निर्णय व डिक्री के माध्यम से विभाजन करते हुये भूमि प्रदान की जाकर उसका खाता व लगान अलग से कायम कर दिया गया, जो विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। विधि के प्रावधानों के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे प्रत्येक सहखातेदार की आराजी का विभाजन एक ही निर्णय व डिक्री के माध्यम से करते किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है। ऐसे में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील संख्या 552/2023 को अन्दर मियाद शुमार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17/02/2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों की उपस्थिति में सभी सहखातेदारान की हिस्से की आराजी का विभाजन प्रस्ताव सम्बन्धित तहसीलदार से तैयार करवाया जाना सुनिश्चित कर बाद प्राप्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, प्राप्त आपत्तियों का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये विधिसम्मत अन्तिम निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार अपील संख्या 553/2023 ख़ारिज की जाती है एवं अपील संख्या 552/2023 स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर